

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 49/16

संस्थापन दिनांक:-15/02/16

फाईलिंग नं. 233504001352016

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

सोनू उर्फ दुर्गेश पिता कुलदीप धोटे, उम्र 24 वर्ष,
 निवासी वार्ड नं. 07, साकरे कॉलोनी आमला,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 03.08.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 01.02.2016 को समय रात्रि 07:30 बजे प्रजापति की दुकान के आगे कुम्हार मोहल्ला आमला थाना आमला जिला बैतूल में लोकमार्ग पर होण्डा साईन मोटरसायकिल क. एमपी-48-एमडी-7327 को उतावलेपन या उपेक्षा से इस प्रकार चलाया जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाये या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से चलाकर फरियादी राधाबाई को साधारण उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 01.02.2016 को रात्रि करीब 07:30 बजे टिकारे की दुकान कोविंद कॉलोनी से अपने घर जा रही थी। तभी अभियुक्त सामने से अपनी मोटर सायकिल को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाते लाया और उसे कुम्हार मोहल्ले में रोड पर टक्कर मार दी जिससे उसकी कमर, दाहिने घुटने, दाहिनी पिंढली, दाहिने कंधे में चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 43/16 पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से होण्डा साईन मोटर सायकिल क. एमपी-48-एमडी-7327 को मय रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी एवं ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर

गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.02.2016 को समयरात्रि 07:30 बजे प्रजापति की दुकान के आगे कुम्हार मोहल्ला आमला थाना आमला जिला बैतूल में लोकमार्ग पर होण्डा साईन मोटरसायकिल क्र. एमपी-48-एमडी-7327 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से चलाकर फरियादी राधाबाई को साधारण उपहति कारित की।?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष

5 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6 राधाबाई (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे मोटर सायकिल से टक्कर लगने से दाहिने पैर में चोट आयी थी। सरिता (अ.सा.-2) ने भी साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि एक गाड़ी से उसकी मां का एकसीडेंट हो गया था जिससे उसकी मां राधाबाई घायल हो गयी थी। लखन (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे कुछ लोगों ने बताया था कि उसकी मां का एकसीडेंट हो गया है।

7 डॉ. एम.के. जोंजारे (अ.सा.-5) ने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 02.02.2016 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत राधाबाई का चिकित्सकीय परीक्षण किया था जिसमें आहत के दांये हाथ की कलाई पर 1

गुणा 1 सेमी. आकार का रगड़ा एवं दांये पैर के घुटने पर दर्द और सूजन के साथ 2 गुणा 2 सेमी. आकार का रगड़ा का निशान पाया था तथा आहत को कमर पर दांयी ओर एवं दांये पैर की एड़ी में दर्द था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी राधाबाई (अ.सा.-1), सरिता (अ.सा.-2) एवं लखन (अ.सा.-3) के कथनों से आहत राधाबाई को टक्कर लगने से चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

8 अनिल शर्मा (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 02.02.2016 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क्र. 43/16 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 08.02.2016 को मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-3) एवं अभियुक्त से मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमडी-7327 को मय दस्तावेज जप्त कर (प्रदर्श प्री-6) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-7) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

9 प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक को वाहन चलाया जाना फरियादी राधाबाई ने अपने कथनों में एवं चक्षुदर्शी साक्षी सरिता ने अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर बताया है। साक्षीगण के उक्त कथन अखंडित रहे हैं। साथ ही बचाव पक्ष के द्वारा भी चुनौती नहीं दी गयी है कि घटना दिनांक को अभियुक्त वाहन चला रहा था। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को होण्डा साईन मोटरसायकिल क्र. एमपी-48-एमडी-7327 अभियुक्त सोनू के द्वारा ही चलायी जा रही थी।

10 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** अभियोजन साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है। किसी भी साक्षी ने अभियुक्त के द्वारा वाहन उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाया जाना नहीं बताया है। मात्र वाहन का तेजी से चलाया जाना उपेक्षा का द्योतक नहीं है। फलतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जावे।

11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में उमेश (अ.सा.-6) ने अभियोजन कथा के किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अतः इस साक्षी से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। राधाबाई (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना रात्रि 7-8 के बीच की है। घटना के समय वह डॉ. जोहर के क्लीनिक के सामने से अपने घर की ओर आ रही थी। तभी अभियुक्त सोनू मोटर सायकिल तेज रफ्तार से शराब के नशे में चलाते हुए आया और उसे टक्कर मार दिया जिससे उसके दाहिने पैर में चोट

आयी थी। घटना के समय उसकी बेटी सरिता साथ में थी जिसने पूरी घटना देखी थी। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि अभियुक्त सोनू उसके मोहल्ले में आता जाता रहता है इसलिए वह उसे पहचानती है। सरिता (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह अपनी मम्मी राधाबाई के साथ कपड़े खरीदकर वापस आ रही थी। तभी सामने से एक गाड़ी तेजी से आयी और उसकी मां का एकसीडेंट कर दिया। **साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसे यह याद नहीं है कि मोटर सायकिल कौन चला रहा था।** उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त सोनू ने मोटर सायकिल को तेजी और लापरवाही से चलाकर उसकी मां को टक्कर मारी थी। लखन (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे उसके बटायीदार ने बताया था कि उसकी मां का एकसीडेंट हो गया है। फिर वह अपनी मां को ईलाज के लिए बैतूल ले गया था। इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। **अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसे उसकी मां ने बताया था कि अभियुक्त सोनू ने मोटर सायकिल को तेज एवं लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी थी।**

12 राधाबाई (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय अंधेरा था। उसने मोटर सायकिल चालक को देख लिया था। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि वह घबराकर स्वयं गिर गयी थी। साक्षी ने यह भी गलत बताया है कि अभियुक्त सोनू के परिवार वाले उसे ईलाज कराने के लिए अस्पताल लेकर आये थे। साक्षी ने यह सही होना बताया है कि घटना की रिपोर्ट उसने दूसरे दिन की थी। प्रति परीक्षण के पैरा क. 07 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि टक्कर लगने के तुरंत बाद वह बेहोश हो गयी थी। स्वतः बताया है कि थोड़ी देर बाद बेहोश हुई थी। सरिता उर्फ गुड्डी (अ. सा.-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि वह अपने साईड से थी और अभियुक्त अपने साईड से वाहन लेकर आ रहा था। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि वह सामने चल रही थी और यदि कोई गाड़ी सामने से तेजी से आयी तो पहले उसे ही लगेगी। साक्षी ने स्वतः में कहा कि वह साईड में हो गयी थी इसलिए उसकी मां जो पीछे चल रही थी उसको गाड़ी की टक्कर से चोट लग गयी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में ही साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि वाहन की स्पीड के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है, उसने अपनी मां को रोड पर गिरते हुए नहीं देखा था, वह स्वयं बेहोश हो गयी थी मां कैसे गिर गयी थी उसे होश में आने के बाद पता चला। लखन (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है और इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसकी मां को किसने

टक्कर मारी थी।

13 फरियादी राधाबाई (अ.सा.-1) ने अभियुक्त के द्वारा वाहन को तेजी से चलाया जाना बताया है परंतु घटना के समय अभियुक्त वाहन को लापरवाही या उतावलेपन से चला रहा हो ऐसा साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हुआ है। चक्षुदर्शी साक्षी सरिता (अ.सा.-2) ने अपने कथनों में यह बताया है कि अभियुक्त अपनी साईड से वाहन लेकर आ रहा था और वह और उसकी मां भी अपनी साईड से जा रहे थे। साक्षी ने अभियोजन कथा से हटकर यह कथन किये हैं कि वह अपनी मां के सामने चल रही थी और उसके सामने से हट जाने की वजह से उसके पीछे चल रही मां को टक्कर लग गयी। फरियादी राधाबाई ने अभियुक्त के शराब के नशे में होना बताया है परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसी कोई बात फरियादी के द्वारा लेख नहीं करायी गयी है। फरियादी के पुत्र लखन ने घटना की कोई जानकारी न होना बताया है। साथ ही इस बात की जानकारी न होना भी बताया है कि उसकी मां को किसने टक्कर मारी थी। राधाबाई के कथनानुसार संपूर्ण घटना उसकी बेटी सरिता ने देखी थी। जबकि सरिता के कथनानुसार वह बेहोश हो गयी थी और उसे नहीं पता था कि उसकी मां को टक्कर कैसे लगी, मां कैसे गिरी और चोट कैसे आयी। स्पष्टतः साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास हैं। स्वयं साक्षी सरिता (अ.सा.-2) ने अभियुक्त के द्वारा अपने साईड से वाहन चलाया जाना बताया है। अभियुक्त द्वारा वाहन उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाये जाने के संबंध में किसी भी साक्षी ने कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिससे युक्तियुक्त संदेह से परे यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने घटना के समय वाहन उपेक्षा या लापरवाही से चलाकर आहत राधाबाई का जीवन संकटापन्न कर उसे उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

14 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर होण्डा साईन मोटरसायकिल क्र. एमपी-48- एमडी-7327 को उतावलेपन या उपेक्षा से इस प्रकार चलाया जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाये या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से चलाकर फरियादी राधाबाई को साधारण उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त सोनू उर्फ दुर्गेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 के आरोप में से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16 प्रकरण में जप्तशुदा होण्डा साईन मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमडी-7327 हेमंत पिता कुलदीप निवासी गोविंद कॉलोनी आमला थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

17 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)